



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1329

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41476 वर्ष 2025

बृजेश कुमार

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: दीपक कुमार त्रिपाठी, निखिलेश कुमार चौधरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार त्रिपाठी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक बृजेश कुमार की ओर से दायर की गई है, जिसमें अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 78/2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316 (5)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामले में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 11.8.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम पार्टी बंदी के कारण, शिकायतकर्ता ने आवेदक के खिलाफ राशन वितरण न करने की शिकायत की, न कि केवल आवेदक को परेशान करने के लिए। आवेदक ने राशन वितरण के संबंध में कभी कोई जालसाजी नहीं की। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही चल रही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की निवेदन की गई है।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में आरोपी-आवेदक **बृजेश कुमार** को, उनके द्वारा व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि में प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक ट्रायल न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।